

(iii) Notification G.S.R. No. 266, dated the 29th February, 1964.

(iv) Notification G.S.R. No. 331, dated the 1st March, 1964.

[Placed in Library. See No. LT-2511/64 for (i) to (iv).]

**THE CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE
DUTIES EXPORT DRAWBACK (GENERAL)
AMENDMENT RULES, 1964**

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 255, dated the 22nd February, 1964, publishing the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Amendment Rules, 1964, under section 159 of the Customs Act, 1962, and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [Placed in Library, See No. LT-2512-84].

**THE CENTRAL EXCISE (SECOND AMEND-
MENT) RULES, 1964**

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 292, dated the 26th February, 1964, publishing the Central Excise (Second Amendment) Rules, 1964, under section 88 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [Placed in Library See No. LT-2513/64].

**THE DEFENCE OF INDIA (SECOND
AMENDMENT) RULES, 1964**

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, on behalf of Shrimati Tarkeshwari Sinha, I beg to lay on the Table, under section 41 of the Defence of India Act, 1962, a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 181, dated the 3rd February, 1964, publishing the Defence of India (Second Amendment) Rules, 1964. [Placed in Library See No. LT-2472/64].

**THE BUDGET (GENERAL), 1964-
65—contd.**

MH. CHAIRMAN: We may continue with the discussion of the Budget (General), 1964-65. Sardar Budh Singh had not concluded his speech. He might now continue.

سردار بدھ سنگھ (جموں اینڈ

کشمیر) : چورسین صاحب - میں نے جو کل تقریر کی تھی وہ تقریر نہیں تھی بلکہ درد دل تھا اب توڑا سا وقت ملا ہے - چلند ملت ملے ہوں اور میں آپ کے سامنے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں - میں آپ کا زیادہ وقت لہنا نہیں چاہتا اور صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نہتا ہوں پریزیڈنٹ ہوں ان کی جو تقریریں اور پیغام ہوں ان کو میں آپ کے سامنے سلانا چاہتا ہوں تاکہ کل جو میں نے درد دل بیان کیا تھا اس کی تائید ہو جائے -

۲۸ جنوری ۱۹۴۸ کا سہاتما گاندھی کا یہ لکھ : ہریجی ، میں نکلا اور ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ ع کو وہ شہید ہوئے انہوں نے لکھا ہے -

ہمارے چلتے ملتے ہوں ان میں سے کوئی بھی کسان نہیں کسان کی مصیبتوں کو گھر سے سمجھ سکتے اور دراصل اب راج گستانوں کا ہی ہونا چاہیئے ۔ ۔ ۔ سہاتما گاندھی جی آگے لکھتے ہیں :۔ وہ آپ لکھ سچے آئے تھے

[سردار بدھ سنگھ]

ان کا نام تو میں بھول گیا۔ انہوں نے کسان کی بات کی۔ میں نے کہا۔ مہرا بس چلے تو ہمارا گورنر جنرل کسان ہو گا۔ ہمارا بڑا وزیر کسان ہو گا۔ سب کچھ کسان ہو گا۔ کھونٹے یہاں کا راجہ کسان ہے۔ مسیحے بچپن میں سکھایا تھا۔ ایک کویتا ہے۔۔۔ ”دے کسان زمین سے بھدانا نہ کرے تو ہم کہا کھائیں گے۔ ہندوستان کا سچا مچا راجہ تو وہی ہے لہٰذا آج ہم اہم مقام بنا کر بیٹھے ہیں۔ آج کسان کہا کرے۔ ایم۔ اے بلے، بی۔ اے بلے ایسا کہا تو کسان مٹ جائے گا۔ پھچھو وہ کدالی نہیں چلائے گا۔ جو آدمی اپنی زمین سے بھدانا کرتا ہے اور کھاتا ہے سو گورنر جنرل بلے۔ پردھان بلے تو ہندوستان کی شکل بدل جائے گی۔ آج جو کڑا ہوا ہے وہ نہیں رہے گا۔“

اس کے بعد شری جواہر لال نہرو کا یہ پہغام دیکھتے جس میں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے یہ الفاظ انہوں نے تروت اور کاسرس فیکریشن کے سامنے کہے اور بڑے دردناک طریقہ سے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ — دہاؤ۔ ہم مفاد خصوصی کو ختم کرنے کے لئے ایک ایسا قہلگ نکالیں جو کسی کے لئے تکلیف دہ نہ ہو اور اس میں ویسٹمنسٹر انٹرسٹ نہیں رہے گا۔ مفاد

خصوصی ختم ہونا ہے۔ یہ مختص صدی وائے نہیں بلکہ دنیا کے موجودہ حالات کا تقاضا ہے۔ میں ایسے مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس میں ہمارے کروڑوں کاشت کار نہم فاقہ کشی کی حالت میں ہوں۔ میں کروڑوں لوگوں کی فاقہ کشی اور غربت پر کروڑوں انقلابوں کو ترجیح دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ داری اور مفاد خصوصی ختم کی جائے گی کھونٹے اس میں کسانوں کی بھلائی ہے۔ دولت مند لوگ اس چھڑ سے قترتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خرابی خرابی ہوگی کوئی کہتا ہے کہ بلند بھد ہوگا۔ جواہر لال جی کہتے ہیں کہ ”کروڑوں انقلاب ہوں۔ میں نہیں قرتا۔ میں ۹۰ فی صدی کسانوں کی بدتر حالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سب لوگ اچھی طرح سے اس پروگرام مسئلہ کو جانتے ہیں میں محفلت کھی و کسان طبقہ کا حامی ہوں اور میں نے شروع ہی سے سالہ ۱۹۳۵ میں اسمبلی میں کسان پارٹی بلانی تھی میں ایک سوشلسٹ ہوں اور کنگریمس کا دوست ہوں۔ میں لہوریشن والا نہیں ہوں اور دوست کا فرض ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جو بات ہو وہ ساری باتیں کہول کر کہے۔“

جیہوڑ میں پلندچی نے کہا کہ ایک زندگ کر تمام شعبوں سے

بہشتا چار ختم نہ ہوا تو سولڈرمن کی تمام باتوں پر معافی ہو جائیں گی۔ سولڈرمن کے بارے میں کانگریس کی جو سازشیں ہیں ان سب پر عمل ہونا چاہئے۔ یہ الفاظ پلڈت جی کے ہیں۔

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کے دہلاپ، اخبار میں پڑھا ہوگا اور اس میں ہمارے سری گلزاروں لعل لندا کے بیان کو، بابت اس طرح سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ—اس مشترکہ نصب العین کی طرف بڑھنا چاہئے جو ملک کے سامنے ہے اور یہ نصب العین کیا ہے؟ لندا جی نے مختصر شدوں میں بتایا۔ وہ یہ کہ ملک میں ہر آدمی کو مناسب خوراک مناسب لباس اور مناسب رہائش دینا ہو اور جلدی سے جلدی ہو۔ زیادہ سے زیادہ پانچویں پلان کے آخری برس تک۔

میں نے یہ وہی اہلی تقریر میں کہا تھا کہ کیا پیگروں کے بغیر یہ گڑی چلے والی بات تو نہیں ہے؟ ہمارے دیہی میں کروڑوں فریب آدمی ہیں مزدور آدمی ہیں کہا وہ ۷ سال تک بغیر مناسب روٹی کھڑے کے رہ سکتے ہیں۔ ان کی غربت کیا ۷ سال کے بعد دور ہو گی۔ کہا ۷ سال مزدور اور فریب

کسان کی نہم فالہ بہو بیگیاں ایک پھٹی سازش ہی پہلے رہیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس فریب کسان مزدور کے پاس دھلے کے لئے چھپر ہیں نہ نہانے کے لئے فصل خانہ نہ پہلے کے لئے صاف پانی نہ دھلے کے لئے اچھا مکان ہے اور نہ ہی کھانے کو ہی اس کو اچھی چھڑیں مل سکتی ہیں۔ وہ لوگ گددگی اور بدبو کی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر نہ تٹی کا کوئی انتظام ہے اور نہ پہلے کے پانی کا ہی کوئی انتظام کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر کئی مرتبہ اس بات کو کہہ چکا ہوں مگر ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکا۔ ہمارے ملک میں باہر سے ویسٹر بوز بوز لوگ آتے ہیں اور ہماری سرکار سپاہن نوازی کرتی ہے۔ جن ہمارے مزدوروں نے بوز بوز ہوٹلوں کو بنایا ہے جہاں پر کہ ان لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے آرام ملتا ہے مگر ان مزدور لوگوں کو نہ مناسب کھانا ہی ملتا ہے اور نہ دھلے کے لئے مکان ہی ملتے ہیں۔ یہ لوگ نہایت تکلف اور مصہبت میں باہر بوز رہتے ہیں۔

میں آپ کو ۲۶ جنوری ۱۹۶۳ کو جو بمبئی راجپوتی نے دیا ملانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے۔

سرکار ہندوستان

ہمیں جمہوریت پر غور کے
یقینی کو بنائے رکھنا ہے تو ہمیں
زندگی سے کرپشن کو بالکل ختم کرنا
ہوگا۔ ہمیں یہ بات دھیان میں
رکھنی ہوگی کہ کم زور و ناقابل اور
کرپٹ ایڈمنسٹریٹو کو عوام ہمیں
دیر تک برداشت نہیں کرتے۔ اگر
چور بازاریاں اور کرپشن اور خورج
پروری جیسی برائیوں کو دور نہ کیا
گیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ
سماج سبوا کے لئے آگے آنے کے خواہش
مند نو جوان کوئی اور راستہ تلاش
کر سکتے ہیں۔ ہماری جمہوریت
کی مضبوطی اس بات پر بھی
محصص ہے کہ ہمارے اقتصادی ڈھانچہ
میں سدھار ہو اور ملک کی آمدنی
اور ترقی کے ذریعہ سبھی لوگوں
میں یکساں طور پر ملقسم ہو۔

اصلیت یہ ہے کہ جب تک
ملک کی زرعی پیداوار میں اضافہ
نہ ہوگا اقتصادی ترقی نہیں ہو
سکتی۔ ہمیں اپنے ملک میں بڑے
پیمانے پر پمپلی ہوئی فریبی کو
دور کرنا ہے۔ آمدنی میں اضافہ کے
ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ

اس کی تقسیم اس طرح نہ
عوام میں تفاوت بڑھتا جائے۔

ملکت جواہر لال نہرو نے گاندھی
جیلتی کے ایک موقع پر کہا تھا۔
ہم باوقار زندگی بسر کرنے کے لئے
اور عزت کے ساتھ اپنے دیس کو خوش
حال بنائیں۔ دیس کی پیداوار
بڑھائیں اور لوگ دھندوں میں ترقی
کریں۔ یہ انہوں نے کہا۔
ہم ابھی تک ہمارے دیس میں بہت
لوگ ہیں جو غریب ہیں اور یہ
بات مجھے ہر وقت دکھتی اور پریشان
رکھتی ہے۔ اب سوشلزم کے متعلق
کانگریس پریزیڈنٹ شری کام راج نادر
یہ لکھتے ہیں۔ سوشلزم کا فلسفہ
دنیا کے سارے سماجی نظام میں
کار فرما ہے۔ صرف سوشلزم کی منزل
پر پہنچنے کے طریقوں میں فرق
ہے۔ ہندوستان اگر فریبی اور نابرابری
کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی
اس راستے پر چلنا ہوگا لیکن وہ
اپنے عوام کی ذہانت کے مطابق
سوشلزم لانے کے طریقے اختیار کرے
گا۔ ۲۲ سالہ ۱۹۳۰ء میں
نے وہ کتاب کی داستان ۲۲ ایک
چھوٹی سی کتاب لکھی جس پر
مجھے قلعہ باہو میں بلد کر دیا
گیا۔ میں نے اس وقت کسان کو
اس کی حقیقت سے آشنا کرنے کے
لئے شاعر کے یہ شعر لکھے تھے۔

لوگ لگے ہوئے کسان اور حتمی
درجہ کو حاصل کر سکے گا۔ اور اس
چلتی نظر خوبصورت وطن کا خوش
حال و خوش باطن باشندہ ہی سکے
گا نہ معلوم کب یہ وعدہ پورا ہوگا
اس واسطے میں کہتا چاہتا ہوں کہ
آپ کو فریب اور مزدور کسانوں کے
لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہئے
کہوں نہ ہم دیکھتے ہوں کہ بھاری
جب چاہتا ہے فلم بوجھ دیتا ہے
جس سے فریب کسان کو بہت
تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ
چاہتے ہیں کہ دیہاتی فریب لوگ
ہی زیادہ تر بلوڑ میں رہتے ہیں
ان کو ہتھیار دے کر تھار کو حکمے
ہوں نہ ان جب تک ہم ان کو
خوش حال بنانے راحت دینے کے
لئے کوئی کام نہیں کریں گے
تب تک ہمارا کوئی کام پورا نہیں
ہو سکتا۔ اس لئے میں اسہد کرتا
ہوں کہ سرکار فریب مزدور کسان
اور محنت کش لوگوں کی تکلیف
کا احساس کرے اور فور کرے گی اور
جتنا ان کو طاقتور و خوش کرے گے
لئے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ
کریگی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا
ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کے لئے
الفا موقعہ دیا۔

اشنا اپنی حقیقت سے
ہم اے دھقان کہ تو
دانہ تو، کہتی ہیں تو،
ہاراں ہیں تو، حاصل ہیں تو
کانہتا ہے دل تو
اندھے طورانی سے کہوں
بصر تو، کہتی ہیں تو،
ناخدا ہیں تو، حاصل ہیں تو
واہے نادانی کہ تو
مستحق سانی ہو گیا
میں بھی تو، مہلا بھی تو،
حاضر ہیں تو، حالی ہیں تو
تو میں نے ثابت کر دیا کہ
کسان کی کہا حقیقت ہے جو وہ
مہلے کسان کا کام کرتا ہے اور وہ
مہلے مزدوری کا کام کرتا ہے۔ جس
نے ہمارے لئے کھانے کی اناج کی
مقدیمیں بھر ہی ہیں مہلے کی
مقدیمیں بھری ہوئی ہیں جو ہمارے
لئے سبزیاں اور توکاریاں پیدا کرتا
ہے مگر کہتی کرتا ہے اس کے لئے
رہنے کے لئے بھی اچھی جگہ نہیں
ہے اور نہ کھانے کے لئے اچھی
پوری چھڑ مل سکتی ہے۔ آج ہم
کو دلی میں نظر آ رہا ہے کہ جتنے
بڑے بڑے ہوٹل ہیں ہارور ان
میں جو کھانا یا سبزی توکاری تیار
ہوتی ہے وہ سب ہمارے کسان اور
مزدور کی محنت سے پیدا کی
جاتی ہیں۔ نئے کھمبہ کے منصوبہ
میں نیشنل لائبرس نے کسانوں کے
حقوق کی تفصیل بتانے کے بعد یہ
لکھا تھا کہ اس حقوق نامہ کے
نصت ریاست جسوں کھمبہ کے فریب

†[सरदार बूच सिंह (जम्हू प्रीर
काश्मीर) : बेयरमेन साहब, मैं जो कल
तकरीर की थी वह तकरीर नहीं थी बल्कि

†[1 Hindi transliteration.

[सरदार बुध सिंह नेगी]

बदें दिल था। अब बोझ सा बकत मिला है। बन्द भिन्ट मिले हैं और मैं आप के सामने कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं आप का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता और सिर्फ़ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता हैं, प्रेसीडेंट हैं उन की जो तकरीरें और पैगाम हैं उन को मैं आप के सामने सुनाना चाहता हूँ ताकि कल जो मैंने दर्देदिल बयान किया था उस की ताईद हो जाये।

२८ जनवरी, १९४८ का महात्मा गांधी का यह लेख 'हरिजन' में निकला और ३० जनवरी, १९४८ को वह गद्दीद हुए। उन्होंने लिखा है—

“हमारे जितने मंत्री हैं उन में से कोई भी किसान नहीं। किसान की मुसीबतों को कैसे समझ सकते और दरअसल अब राज किसानों का ही होना चाहिये...”। महात्मा गांधी जी आगे लिखते हैं : “आज एक सज्जन आए थे उन का नाम तो मैं भूल गया। उन्होंने किसान की बात की। मैंने कहा, मेरा बस चले तो हमारा गवर्नर-जनरल किसान होगा। हमारा बड़ा बजौर किसान होगा। सब कुछ किसान होगा। क्योंकि यहाँ का राजा किसान है। मुझे बचपन में सिखाया था। एक कविता है—“हे किसान ! तू बादशाह है”। किसान जमीन से पैदा न करे तो हम क्या खायेंगे। हिन्दुस्तान का सचमुच राजा तो वही है लेकिन आज हम उसे गुलाम बना कर बैठे हैं। आज किसान क्या करे? एम० ए० बने, बी०ए० बने? ऐसा किया तो किसान मिट जायगा। पीछे वह कुदाली नहीं चलायगा। जो आदमी अपनी जमीन से पैदा करता है और खाता है सो गवर्नर-जनरल बने, प्रधान बने तो हिन्दुस्तान की गल्ल बदल जायेगी। आज जो गल्ल सड़ा है वह नहीं रहेगा।”

इसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू का यह पैगाम देखिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। यह अलफ्राज उन्होंने ट्रेड और कोमर्स फंडरेशन के सामने कहे और बड़े दर्दनाक तरीके से कहे हैं। उन्होंने कहा है कि—“आओ हम मुफाद खसूसी को खत्म करने के लिए एक ऐसा बंग निकालें जो किसी के लिए तकलीफदेह न हो और उसमें वैस्टेज इंट्रेस्ट नहीं रहेगा। मुफाद खसूसी खत्म होना है। यह महज मेरी राय नहीं बल्कि दुनिया के मौजूदा हालात का तकाजा है। मैं इसे मुस्तक़बिल का तसब्बुर भी नहीं कर सकता। जिसमें हमारे करोड़ों काश्तकार नीम फाका-कशी की हालत में हों। मैं करोड़ों लोगों की फाकाकशी और सुरबत पर करोड़ों इन्कलाबों को तरबीह दूंगा”। उन्होंने कहा कि सरमायादारी और मुफाद खसूसी खत्म की जायेगी क्योंकि उसमें किसानों की भलाई है। बोलततमन्द लोग इस चीज से डरते हैं। कोई कहता है कि खून-खराबी होगी; कोई कहता है कि ब्लड शैड होगा। जवाहरलाल जी कहते हैं कि “करोड़ों इन्कलाब हों मैं नहीं डरता। मैं ६० की सदी किसानों की बदतर हालत को बदलाव नहीं कर सकता। आप सब लोग अच्छी तरह से इस प्रान्लेम, मसले को जानते हैं। मैं मेहनतकश व किसान तबके का हामी हूँ और मैंने शुरू से ही सन् १९३५ ई० में असेम्बली में किसान पार्टी बनाई थी। मैं एक सोशलिस्ट हूँ और कांग्रेस का दोस्त हूँ। मैं अपोजीशन वाला नहीं हूँ और दोस्त का फर्ज होता है कि उसके दिल में जो बात हो वह सारी बातें खोलकर कह दे। जयपुर में पंडित जी ने कहा कि अगर ज़िन्दगी के तमाम मोर्चों से अष्टाचार खत्म न हुआ तो सोशलिज्म की तमाम बातें बेमानी हो जायेंगी। सोशलिज्म के बारे में कांग्रेस की सिफारिशें हैं उन सब पर अमल होना चाहिये।” यह अलफ्राज पंडित जी के हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज के 'मिलाप' अखबार में पढ़ा होगा और उसमें हमारे श्री गुजवारीवाल नम्बर

जी के बयान की वाकत इस तरह से लिखा है। वह कहते हैं कि—“इस मुशतर्क नस्ब-उल-ऐन की तरफ बढ़ना चाहिए जो मुल्क के सामने है” और यह नस्ब-उल-ऐन क्या है? नन्दा जी ने मुख्तसिर शब्दों में बताया—यह कि मुल्क में हर आदमी को मुनासिब खुराक, मुनासिब लिबास और मुनासिब रिहाइश मुयस्सर हो और जल्दी से जल्दी मुयस्सर हो। ज्यादा से ज्यादा पांचवें प्लान के आखिरी वर्ष तक।”

मैंने पहले भी अपनी तकरीर में यह कहा था कि क्या पेट्रोल के बगैर यह गाड़ी चलने वाली बात तो नहीं है? हमारे देश में करोड़ों गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं क्या वह सात साल तक बगैर मुनासिब रोटी कपड़े के रह सकते हैं। उनकी गुरवत क्या सात साल के बाद दूर होगी। क्या सात साल मजदूर और किसान की नीम फाका बहू-बेटियां एक फटी साड़ी ही पहने रहेंगी। आज हम देखते हैं कि इस गरीब किसान मजदूर के पास रहने के लिए छप्पर हैं न नहाने के लिए गुसलखाना, न पीने के लिए साफ पानी है न रहने के लिए अच्छा मकान है और न ही खाने को ही उसको अच्छी चीज मिल सकती है। वह लोग गन्दगी और बदबू की जगह पर रहते हैं जहां पर न टट्टी का कोई इन्तिजाम है और न पीने के पानी का ही कोई इन्तिजाम किया गया है। मैं यहां पर कई मर्तबा इस बात को कह चुका हूं मगर अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं हो सका। हमारे मुल्क में बाहर से विजिटर बड़े बड़े लोग आते हैं और हमारी सरकार मेहमान-नवाजी करती है। जिन हमारे मजदूरों ने बड़े बड़े होटलों को बनाया है जहां पर कि उन लोगों को खाना खिलाया जाता है, धाराम मिलता है, मगर इन मजदूर लोगों को न मुनासिब खाना ही मिलता है और न रहने के लिए मकान ही मिलते हैं। ये लोग निहायत तकलीफ और मुसीबत में बाहर पड़े रहते हैं।

मैं आपको २६ जनवरी, १९६४ को जो भाषण राष्ट्रपति ने दिया, सुनाना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा—

“हमें जम्हूरियत पर अबाम के यकीन को बनाए रखना है तो पब्लिक जिन्दगी के कार्प्शन को बिलकुल खत्म करना होगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि कमजोर, नाकाबिल और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अबाम बहुत देर तक बरदाश्त नहीं करते। अगर चोर-बाजारियां और कार्प्शन और स्वैशपरवरी जैसी बुराइयां को दूर न किया गया तो इस बात का खतरा है कि समाज सेवा के लिए आगे आने के स्वाहिशमन्द नौजवान कोई और रास्ता तलाश कर सकते हैं। हमारी जम्हूरियत की मजबूती इस बात पर भी मुतहिसर है कि हमारे इक्तसादी ढांचे में सुधार हो और मुल्क की आमदनी और तरक्की के जरिए सभी लोगों में एकसां तोर पर मुनकसिम हों।”

मुल्क के इक्तसादी हालत के मुतलिक हाल में जो सर्वे किया गया है उससे यह पता चलता है कि मौजूदा प्लान के नतायज हौसला-अफजा नहीं हैं।

असलियत यह है कि जब तक मुल्क की जराई पैदावार में इजाफा न होगा, इक्तसादी तरक्की नहीं हो सकती। हमें अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर फैली हुई गरीबी को दूर करना है आमदनी में इजाफा के साथ साथ यह भी देखना होगा कि इसकी तकसीम इस तरह न हो कि अबाम में तफावत बढ़ता जाए।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जयन्ती के एक मौके पर कहा था,—“बबकार जिन्दगी बसर करने के लिए और इज्जत के साथ अपने देश को खुशहाल बनाएं। देश की पैदावार बढ़ाएँ—उद्योग धन्धों में तरक्की करें। फिर उन्होंने कहा, अभी तक हमारे देश में बहुत लोग हैं जो गरीब हैं और यह बात भुझे हर वक्त दुःखी और परेशान रखती है।”

अब सोशलिज्म के मुक्तिक कांग्रेस प्रेसीडेंट श्री कामराज नाडार यह लिखते हैं—“सोशलिज्म का फलसफा दुनिया के सारे समाजी निजाम में कार फर्मा है। सिर्फ सोशलिज्म की मंजिल पर पहुँचने के तरीकों में फर्क है। हिन्दुस्तान अगर गरीबी और नाबरावरी को खत्म करना चाहता है तो उसे भी इस रास्ते पर चलना होगा। लेकिन वह अपने भवाम की जहूनियत के मुताबिक सोशलिज्म साने के तरीके अदितयार करेगा।”

१९३० ई० में मैंने “किसान की दास्तां” एक छोटी सी किताब लिखी जिस पर मुझे किला बाहू में बन्द कर दिया गया। मैंने उस बक्त किसान को उसकी हकीकत से आशना करने के लिए शायर के यह शेर लिखे थे :—

आशना अपनी हकीकत से
हो ए दहकान कि तू,
दानां तू, खेती भी तू,
बारां भी तू, हासिल भी तू।
कांपता है दिल तेरा
अन्देशाए तुफां से क्यों,
बहर भी तू, कष्टी भी तू,
नाखुदा भी तू, माहिल भी तू,
वाए नादानी कि तू
मृहताजे साकी हो गया
मैं भी तू, मीना भी तू,
सागर भी तू साकी भी तू,

तो मैंने साबित कर दिया कि किसान की क्या हकीकत है—जो ६ महीने किसानों का काम करता है और ६ महीने मजदूरी का काम करता है। जिसने हमारे लिए खाने की अनाज की मंडियां भर दी हैं, मेवे की मंडियां भरी पड़ी हैं जो हमारे लिए सज्जियां और तरकारी पैदा करता है, मगर खेती करता है, उसके रहने के लिए भी अच्छी जगह नहीं है और न खाने के लिए उसे अच्छी पूरी चीज मिल सकती है। आज हमको दिल्ली में नजर आ रहा

है कि जितने बड़े-बड़े होटल हैं, रोज बारांज उनमें जो खाना या सब्जी, तरकारी तैयार होती हैं वह सब हमारे किसान और मजदूर की मेहनत से पैदा की जाती हैं। नए काश्मीर के मनसूवे में नेशनल कांग्रेस ने किसानों के हुकूक की तफसील बताने के बाद यह लिखा था कि इस हुकूकनामे के तहत रियासतें जम्मू काश्मीर के गरीब लोग लुटे हुए किसान अपने हकीकी दर्जे को हासिल कर सकेंगे और इस जलते नज़ीर खूबसूरत बतन का खुशहाल और खुशबाश बाशिन्दा बन सकेंगे। नां मालूम कब वादा पूरा होगा इस वास्ते मैं कहना चाहता हूँ कि आपको गरीब और मजदूर किसानों के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए क्यों कि हम देखते हैं कि व्यापारी जब चाहता है दाम बढ़ा देता है जिससे गरीब किसान को बहुत तकलीफ का सामना करना होता है। आप जानते हैं कि देहाती गरीब लोग ही ज्यादातर बोर्डर में रहते हैं उनको हथियार देकर तैयार कर सकते हैं लेकिन जब तक हम उनको खुशहाल बनाने, राहत देने के लिए कोई काम ठोस नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूँ कि सरकार गरीब मजदूर, किसान और मेहनतकश लोगों की तकलीफ का एहसास करे और गौर करेगी और जितना उनको ताकतवर व खुश करने के लिए जितने काम हो सकते हैं वह करेगी।

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना मौका दिया।

श्री ए० बी० बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, इससे पहले कि मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ कहूँ, मैं इस बात पर अपना असंतोष प्रगट करना चाहता हूँ कि प्रति वर्ष बजट पर बहस इस सदन में पहले हुआ करती थी और बाद में बजट दूसरे सदन में विचार के लिये जाता था।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

दलों के नेताओं ने यह निश्चय किया है कि इसी पद्धति का अवलम्बन किया जाए, लेकिन मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि इस वर्ष यह तरीका क्यों बदला गया। संविधान इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट है। संविधान की धाराएं इस सदन को बजट पर बहस करने से नहीं रोकतीं और न संविधान वित्त मंत्री को इस बात से रोकता है कि यदि वे चाहें तो अपने कर प्रस्तावों में कटौती की घोषणा इस सदन में करें। किन्तु यदि वे कर प्रस्तावों में संशोधन यहाँ पर घोषित नहीं करना चाहते तो भी इस सदन को बहस में पहले भाग लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्थिति यह है कि बजट पर दूसरे सदन में विचार हो चुका है और वित्त मंत्री, जो आलोचना की गई थी, उसके सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया भी प्रगट कर चुके हैं। अब अगर उनका दिमाग खुला हुआ नहीं है और इस सदन में जो कुछ कहा जाता है उसकी रोशनी में वे अपने बजट को बदलने या उसमें संशोधन करने के लिये तैयार नहीं हैं तो सारा वादविवाद एक अर्थ में बेमानी हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बजट पर जो बहस हुई है उसके दौरान मैं अनेक सदस्यों ने महलानोबिस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि संसद् के सदस्यों ने उस कमेटी की रिपोर्ट के बड़े बड़े उद्धरण सदन में पढ़ कर सुनाये। ये उद्धरण एक दैनिक पत्र से लिये गये हैं। किन्तु जब सदन में कहा जाता है कि महलानोबिस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाए तो उत्तर दिया जाता है कि रिपोर्ट अभी तक पूरी आई नहीं है सरकार के पास, इस लिये वह पटल पर नहीं रखी जा सकती। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई तो रिपोर्ट समाचारपत्रों में कैसे प्रकाशित हुई? क्या

महलानोबिस कमेटी के कुछ सदस्य उस रिपोर्ट के आंशिक प्रकाशन के लिये जिम्मेदार हैं? क्या उस कमेटी के सदस्य कुछ समाचारपत्रों से सम्पर्क रखते हैं और जो बातें संसद् को नहीं बताई जा सकती, जिस रिपोर्ट का ज्ञान संसद् सदस्यों को नहीं है, उसका ज्ञान कुछ विशेष समाचारपत्रों को कैसे हो गया, यह बड़ी गंभीरता की बात है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सरकार महलानोबिस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने में देर न करे और यदि सरकार की तरफ से बिना रिपोर्ट बताये हुये रिपोर्ट समाचारपत्रों में छप रही है तो इसकी छानबीन होनी चाहिये कि रिपोर्ट किस तरह से समाचारपत्रों के पास पहुँची। जो रिपोर्ट में तथ्य आये हैं वे बड़े भयंकर हैं और उन तथ्यों के सम्बन्ध . . .

Madam, no Minister of the Ministry of Finance is present in the House. What is the use of talking? He is only the Minister for Irrigation and Power. He is not going to reply to this Debate.

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh): The Government is represented by Dr. K. L. Rao.

SHRI A. B. VAJPAYEE: There are three Ministers in the Ministry of Finance and one of them should be present here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I thought Mr. Bnagat was here. Was not he here?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): Government is indivisible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that.

SHRI C. D. PANDE: The Government is represented; there is joint responsibility.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think one of the Ministers from the Ministry of Finance should be here also.

श्री ए० बी० बाजपेयी : महोदया, वित्त मंत्री ने जो बजट रखा है वह उनके व्यक्तित्व की तरह से ही बड़ा पेचोदा है।

SHRI C. D. PANDE: He is here; he has come.

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): I am sorry, Madam. I had to make an urgent phone call. I was there in the Lobby. I just went out for a minute.

श्री ए० बी० बाजपेयी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वित्त मंत्री के व्यक्तित्व की तरह से ही बड़ा पेचोदा है। वित्त मंत्री ने इस बात का प्रयत्न किया है कि विकास की गति को बढ़ाने का और विषमता को मिटाने का जो कुछ अंशों में परस्पर विरोधी कार्य दिखाई देता है उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। मेरे लिये बजट आमदनी और खर्च का एक व्योरा मात्र नहीं है। हमने जो आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किये हैं, बजट उनकी प्राप्ति का एक समर्थ साधन होना चाहिये। हमारे लक्ष्य हैं कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, समानतर वितरण और विषमता में कमी। इस कसौटी पर जब हम बजट को कसते हैं तो ऐसा लगता है कि बजट हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा।

ग्रामीत है कि वित्त मंत्री ने ग्राम आदमी पर कोई नये टैक्स नहीं लगाये हैं, लेकिन इसके लिये उन्हें वध्दाई नहीं दी जा सकती। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में करों से जितनी आमदनी का लक्ष्य रखा गया था वह पूरा हो चुका है। पांच वर्षों में ११०० करोड़ रुपये करों से प्राप्त होने वाले थे, किन्तु योजना के तीन वर्षों में ही १६०० करोड़ रुपये करों से प्राप्त हो चुके हैं। स्पष्ट है कि करों से होने वाली आमदनी ६०० करोड़ रुपये ज्यादा हो चुकी है जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अभी दो वर्ष

बाकी हैं। ऐसी स्थिति में नये टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन वित्त मंत्री को वध्दाई दी जाती अगर वे ग्राम आदमी पर बड़े हुये बोझ को कम करने का प्रयत्न करते। कल उन्होंने लोक सभा में वादविवाद का उत्तर देते हुये एक्साइज ड्यूटी कम न करने के सम्बन्ध में जो तर्क दिया है वह गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। उनका कहना है कि अगर मिट्टी के तेल में या मोटे कपड़े में या दियासलाई की डिबिया में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई तो उसका लाभ उपभोक्ता को नहीं मिलेगा, ग्राम आदमी को प्राप्त नहीं होगा और जो बीच वाले हैं वे उस लाभ को खा जायेंगे। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो फिर मूल्यों को रोकने के सम्बन्ध में जिन कदमों को उठाने पर जोर दिया जा रहा है उन कदमों की सफलता की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती। गत वर्ष जब मिट्टी के तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी तब उससे होने वाली आमदनी का अनुमान कम लगाया गया था। आमदनी अधिक हुई है। ग्राम आदमी को राहत दी जा सकती है लेकिन वित्त मंत्री इसके लिये तैयार नहीं हैं।

पिछले कुछ वर्षों का अगर हम प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों का हिसाब उठा कर देखें तो हमें पता लगेगा कि प्रत्यक्ष कर घटते जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो रही है। अप्रत्यक्ष करों का भार ग्राम आदमी पर पड़ता है। यदि कोई ठोस सुविधा नहीं भी दी जा सकती थी तो भी देश में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बन सकता था कि बजट में ग्राम आदमी को भी कोई राहत दी गई।

महोदया, जिस गति से एक्साइज ड्यूटी हमारे देश में बढ़ी है उसका कुछ हिसाब रखना जरूरी है। १९५०-५१ में एक्साइज ड्यूटी से ६७.५४ करोड़ रुपये की आमदनी

बी जो १९५५-५६ में बढ़ कर १४५.२५ करोड़ हो गई। १९६१-६२ में यह राशि ४६० करोड़ रुपये बढ़ गई और १९६४-६५ के बजट के अनुसार ६०३ करोड़ रुपये सरकार को एक्साइज ड्यूटीज से प्राप्त होगा। जब हम बड़ी हुई कीमतों पर विचार करते हैं और आज देश में इस बात की बड़ी चर्चा है कि सरकार कीमतों को कम करने में असफल रही है तो हमें इस बात को भी देखना होगा कि सरकार के ऐसे कौन से टैक्स हैं, कर हैं, जो वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाते हैं—इसमें एक्साइज ड्यूटीज का बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं पर ही एक्साइज ड्यूटी कम कर दें और राज्यों से कहा जाय कि वे बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं पर बिक्री कर तथा अन्य कर न लगायें तो मूल्यों को स्थिर रखने में या थोड़ी बहुत मात्रा में घटाने में भी सहायता मिल सकती है।

मुझे आश्चर्य है वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिन्ता हो रही है किन्तु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये जायेंगे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री शायद अपने दिमाग में भी स्पष्ट नहीं है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में प्रायः १८ फीसदी की वृद्धि हुई है। आम आदमियों का जीवन फुटकर मूल्यों के अनुसार चलता है, थोक मूल्यों के हिसाब से नहीं और यदि हम फुटकर मूल्यों का हिसाब लगायें तो बढ़ोतरी २५ फीसदी के करीब आती है। मुझे आश्चर्य है उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जो कहीं भी और कभी भी उपयोग में लाया जा सकता है किन्तु जिसका कोई अर्थ नहीं है। मूल्यों को रोकने के लिये सरकार क्या करेगी इसका उत्तर देते हुये उन्होंने कहा है :

"The problem is being examined at the highest level and with the greatest care."

18 RS-4

SHRI B. R. BHAGAT: . . . and urgency.

श्री ए० बी० बाजपेयी : जो भी लेवल है वह तो हाइएस्ट है ही और सरकार जिस बात पर भी चिन्ता करेगी तो "ग्रेटेस्ट केयर" से करेगी यह भी हम मानने के लिये तैयार हैं मगर ऊंचे स्तर पर विचार करने के बाद और बड़ी चिन्ता से समस्या पर गौर करने के बाद परिणाम क्या निकला है? मूल्य वृद्धि कैसे रुकेगी? हमारी सारी योजनायें मूल्य-वृद्धि की चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो जायेंगी, यदि हमने मूल्यों की वृद्धि को नहीं रोका। अनेक देश ऐसे हैं जिनमें बगावत बाजारों से आरम्भ हुई। हम अपने देश में यदि इस सम्भावना को इस आशंका को, रोकना चाहते हैं तो मूल्यों को स्थिर करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी पग उठाना होगा, किन्तु इसके लिये आवश्यक है कि हम इस बात का विचार करें कि मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है और इसके लिये सरकार कहां तक उत्तरदायी है।

मेरा निवेदन है कि जिस बड़ी मात्रा में हम पूंजी लगा रहे हैं विकास के लिये, रक्षा के लिये, उस अनुपात में हम माल का उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ रही है किन्तु उसके अनुसार बाजार में माल नहीं है। लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिये उत्पादन का बढ़ना जरूरी है, यह ऐसी चीज है जिससे किसी का मतभेद नहीं हो सकता, किन्तु देखना यह होगा कि क्या सरकार की नीतियां मूल्य-वृद्धि में सहायक होती हैं? मैंने एक्साइज ड्यूटीज का हवाला दिया। मैं चाहता हूँ कि इस बात पर भी विचार किया जाय कि माल को ढोने में रेलगाड़ी के द्वारा या सड़क परिवहन के द्वारा उसके किराये में जो वृद्धि हुई है उसका मूल्यों पर कहां तक असर पड़ता है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी

[श्री ए० वी० वाजपेयी]

है, डिजेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ो है, सड़क परिवहन महंगा हुआ है, रेल में माल-भाड़े की दर १२ फीसदी तक बढ़ गई है—ये नीतियां ऐसी हैं जो मूल्य वृद्धि में सहायक होती हैं और यदि शासन मूल्यों की बढ़ोतरी को रोकना चाहता है तो उसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो बचे हुए दो साल हैं उनमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे मूल्यों में वृद्धि हो।

मूल्य वृद्धि का सबसे बड़ा कारण खाद्य-मौर्चे पर हमारी विफलता है। उसके लिये कौन उत्तरदायी है इसका उत्तर दिया जाना चाहिये। हम मौसम को दोष देकर आर्थिक नियोजन की सफलता का ढिंढोरा नहीं पीट सकते। संकटकाल में संसद् अथवा केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे विषय में व्यवस्था करने के लिये कानून बना सकते हैं जो कि संविधान के अनुसार राज्य की विषय-सूची में आता है किन्तु इस असाधारण अधिकार का कोई उपयोग नहीं किया गया। कच्चे माल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है जिसका परिणाम कुल मिला कर मूल्यों पर पड़ता है। देश में विजली की कमी है, स्थायी कच्चे माल की भी कमी है और विदेशी मुद्रा के संकट के कारण हम बाहर से भी पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं ला पाते—इसका भी कुछ उद्योगों पर असर हुआ है और मूल्य बढ़ा है। बढ़ती हुई जनसंख्या भी मूल्य वृद्धि का एक कारण है क्योंकि खपत बढ़ रही है मगर उस अनुपात में उत्पादन की वृद्धि नहीं हो रही। यह भी देखना चाहिये कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा अपनाई गई नीतियां कहाँ तक मूल्य वृद्धि का कारण हैं। जिस दर पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मुनाफा कमा रहा है क्या उसका

असर बाजार पर नहीं होता, बाजार की प्रवृत्तियों पर नहीं होता! सुपारी, कनूर, नारियल का तेल, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के मुनाफे की दर का कोई हिसाब नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मुनाफा करे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन उसका असर बाजार पर क्या होता है इसको ध्यान में रखना होगा।

सबसे बड़ी बात जो मूल्य-वृद्धि के सम्बन्ध में हमें याद रखनी होगी वह यह है कि आर्थिक नियोजन का जो हमने डांचा स्वीकार किया है उसमें उपभोक्ता मालों के उत्पादन पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है—जैसे अंग्रेजी में कन्ज्यूमर गुड्स कहते हैं उसकी हमने उपेक्षा की है और भारी उद्योगों पर अधिक बल दिया है। कम्युनिस्ट देशों का उदाहरण भी हमारे सामने है। वे उपभोक्ता माल के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये इस बात को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन एक लोकतन्त्रवादी देश में जहाँ आर्थिक नियोजन की सफलता के लिये जन-सहयोग आवश्यक है, वहाँ हम कन्ज्यूमर गुड्स के उत्पादन की उपेक्षा करके नहीं चल सकते हैं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि जहाँ प्रोड्यूसर गुड्स के उत्पादन में १४ फी सदी की वृद्धि हुई है वहाँ कन्ज्यूमर गुड्स के उत्पादन में केवल २ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूँ, इस नीति को बदलने की आवश्यकता है। अगले सात सालों में हमें अपना ध्यान कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि पर देना चाहिये।

मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये कंट्रोल लगाने का मुझसे दिया जाता है। कल वित्त मंत्री ने भी दूसरे सदन में कहा कि

सरकार को स्ट्रेटेजिक कंट्रोलस लगाने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा, वे इस बात को स्पष्ट करें कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से उनका अभिप्राय क्या है? यदि उनका अभिप्राय यह है कि फसल आने पर सरकार उचित दाम पर उस फसल को खरीदेगी, उसका भंडार बनाएगी, और संकट काल में उस माल को बाजार में लाकर मूल्यों को बढ़ने से रोकगी, तो किसी का मतभेद नहीं हो सकता। यदि उनका अभिप्राय यह है कि गांवों में किसान अपने माल को फसल के समय सुरक्षित रखकर कर्जा ले सकें और अपनी इच्छानुसार उस माल को बाजार में लाकर बेच सकें तो यह भी अच्छा प्रबंध है, होना चाहिये। लेकिन अगर नियंत्रण लगाने का अर्थ है कि हम प्रॉक्योरमेन्ट से लेकर डिस्ट्रिब्यूशन तक, खलिहान में अनाज आने से लेकर उपभोक्ता तक उस अनाज को पहुंचाने तक, नियंत्रण की नीति को अपना-येंगे तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कि ये नियंत्रण सफल नहीं होंगे। हमारे देश में शासनतंत्र जैसा है उससे हम अपरिचित नहीं हैं। लड़ाई के दिनों में कंट्रोल के अनुभव अच्छे नहीं हैं, हमारा राष्ट्रीय चरित्र उस समय से बहुत अच्छा हो गया है, यह मानने का भी कारण नहीं है। अगर अनाज के व्यापार को सरकार ने पूरी तरह—थोक व्यापार भी, फुटकर व्यापार भी—जैसा कि अभिप्राय है, अपने हाथ में ले लिया तो उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। हमें कोई ऐसा इलाज नहीं करना चाहिये जो बीमारी से भी ज्यादा खराब हो। मैं आंशिक नियंत्रण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस समाज में, जिस ढांचे में हमें काम करना है, उसकी क्षमता को, आंखों से ओझल रखकर हम नहीं चल सकते।

मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों का बढ़ना जरूरी है। अन्य देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिससे पता चलता

है कि उन्होंने विकास की गति भी बढ़ाई है और मूल्यों को स्थिर रखने में सफलता प्राप्त की है। इटली की बात कही जाती है कि यद्यपि वहां विकास की गति २ फी सदी बढ़ी है किन्तु मूल्यों में गिरावट आई है। जापान में भी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, बढ़ी है किन्तु मूल्य वृद्धि २ फी सदी से ज्यादा नहीं है। अपने देश में पहली पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि हमने विकास की गति बढ़ाई है मगर हमने मूल्यों को स्थिर रखा। इसलिये यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिये कि हम विकासशील अर्थ-व्यवस्था में लगे हैं इसलिये मूल्यों को स्थिर नहीं रख सकते। जो बाधाएं उत्पादन-वृद्धि के मार्ग में आती हैं वे हटनी चाहियें। शहरों में रहने वालों के लिये, विशेषकर जिन्हें महीने में बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, उन्हें बुनियादी वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल सकें इसके लिये सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये। यह देखना भी जरूरी है कि खेती में पैदा होने वाले माल की कीमत में और कारखाने में बनने वाले माल की कीमत में उचित अनुपात होना चाहिये। आज किसान जो पैदा करता है वह सस्ता बेचता है किन्तु किसान जो खरीदता है वह उतना सस्ता नहीं खरीदता। यदि मूल्य वृद्धि का लाभ किसान को मिलता तो इतनी आपत्ति नहीं होती, किन्तु आज मूल्य वृद्धि का लाभ बीच वाले उठाते हैं। उसका किस तरह से प्रबन्ध किया जाय, इसका विचार होना चाहिये।

महोदया, अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते। लेकिन, विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आये इसके साथ जो खतरे

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

हैं उनको भी आंख से ओझल नहीं किया जाना चाहिये। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं? उद्योग धंधों में, कल-कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा अल्पमत में होगा, यह बात कल वित्त मंत्री ने कही। यह स्पष्टीकरण आवश्यक था, किन्तु माइनागिटी शेर होते हुए भी कौन सी शर्त लगाई गई है इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह भी बताया जाय कि अगर पूंजी लगाने वाला अपनी पूंजी वापस लेना चाहता है तो किन शर्तों पर वापस ले सकेगा? यदि हमने राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया तो किन शर्तों पर राष्ट्रीयकरण होगा? वैसे विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देशों की तुलना में काफी है और अगर विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे पर्याप्त प्रोत्साहन है। अमरीका के कामर्स डिपार्टमेंट ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत में जो अमरीकी पूंजी लगी हुई है वह दुनिया के अन्य देशों में लगी पूंजी से अधिक मुनाफा कमाती है। हमारे मुनाफे की दर २०.६ प्रतिशत है, जबकि पश्चिमी योरूप में ११.५ प्रतिशत है, आस्ट्रेलिया में ७.१ प्रतिशत है, नार्थ अमरीका में ४.३ प्रतिशत है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ३.५ प्रतिशत है, फिर भी हमने निर्णय किया है कि हम विदेशी पूंजी को अधिक सुविधा देंगे। इसमें सावधानी की आवश्यकता है। योजना बनाते समय हम अगर योजनाओं के फारेन एक्सचेंज कन्टेन्ट को कम कर सकें और देश में जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं से प्रमुखतया आर्थिक विकास करें तो विदेशी पूंजी की इतनी बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होगी।

वित्त मंत्री जी ने यह सुझाव दिया है कि देश में सम्पत्ति का जो केन्द्रीयकरण

हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र में जो मोनोपली बन रही है, उसकी जांच के लिए एक कमिशन कायम किया जाय। मुझे आश्चर्य है कि महलनोबिस रिपोर्ट को अभी तक प्रकाश में नहीं लाया गया, वह रिपोर्ट अभी खटाई में पड़ी हुई है, संसद् के सदस्यों ने उसकी झलक तक नहीं देखी और वित्त मंत्री जी ने नया कमिशन बनाने का ऐलान कर दिया। जब किसी मामले को टालना होता है तब कमिशन या कमेटी बनाई जाती है।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि देश में सम्पत्ति का, धन का एक्कीकरण हुआ है। उसे कैसे रोका जाय, इसका भी उपाय छिपा नहीं है। प्रश्न यह है कि शासन क्या सचमुच में गम्भीरता से सम्पत्ति के उत्पादन के साधन को मुट्ठी भर लोगों के हाथों में मंचित होने से रोकना चाहता है? यदि शासन की इच्छा यह है कि इस चीज को रोका जाय तो किसी कमिशन को बनाने को आवश्यकता नहीं है।

महोदया, यह सरकार किस ढंग से काम करती है, इसका उदाहरण इस कमिशन की नियुक्ति के बारे में मिला। जिस दिन वित्त मंत्री जी ने संसद् में बजट पेश किया उसी दिन दूसरे सदन में प्रश्नोत्तरकाल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री जी से पूछा गया कि क्या मोनोपली को रोकने के लिये किसी कमिशन को बनाने पर सरकार विचार कर रही है? इस पर वाणिज्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि सरकार कोई कमिशन बनाने पर विचार नहीं कर रही है। यह जवाब प्रश्नोत्तरकाल में दिया गया और शाम को ५ बजे वित्त मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि सरकार कमिशन बनाने पर विचार कर रही है। जब यह आपत्ति की गई कि दो मंत्रियों के उत्तरों में इस प्रकार का अन्तर क्यों है तो वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के प्रस्ताव मंत्रिमंडल के

सदस्यों से कितने गोपनीय रखे जाते हैं इसका यह उदाहरण है। कमिशन को नियुक्ति बजट प्रस्तावों के अन्तर्गत नहीं आती। किसी टैक्स को बढ़ाने या कम करने का सवाल नहीं आता। यदि मोनोपली की जांच के लिये कमिशन नियुक्त किया जाना था तो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजट बनते समय वित्त मंत्री जी किसी से पूछते नहीं हैं और शायद मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते? सारी दुनियां हंस रही है, सारा देश आश्चर्य कर रहा है कि एक वित्त मंत्री जो आते हैं वे एक्सपेंडीचर टैक्स लगाते हैं और उस एक्सपेंडीचर टैक्स की बड़ी तारीफ करते हैं दूसरे वित्त मंत्री जी आते हैं और वे अपने अनुभव से एक्सपेंडीचर टैक्स को खत्म कर देते हैं। किन्तु एक्सपेंडीचर टैक्स लगाने वाले वित्त मंत्री जी पुनः आते हैं। तो फिर टैक्स लगा दिया जाता है। एक्सपेंडीचर टैक्स पहले क्यों लगाया गया और फिर क्यों खत्म किया गया और अब फिर क्यों लगाया जा रहा है। क्या यह शासन की आर्थिक सुसज्ज, समझदारी और दूरदर्शिता का परिणाम है? क्या वित्त मंत्री जी स्वतन्त्र हैं कि किसी भी टैक्स को लगाए और किसी को हटा दें? क्या कुल मिलाकर सरकार इस बात पर विचार नहीं करती? अनुभव ने यह बतलाया है कि एक्सपेंडीचर टैक्स से जितनी आमदनी की आशा की जा सकती थी उतनी आमदनी नहीं हुई, इसलिए एक्सपेंडीचर टैक्स को हटा दिया गया और अब फिर एक्सपेंडीचर टैक्स लगाया जा रहा है। श्री मोरारजी भाई ने जो कुछ किया था उसका शीर्षासन हो रहा है और वित्त मंत्री जो ने इसका भार अपने ऊपर ले लिया है। मुझे लगता है कि श्री मोरारजी भाई ने जी बोया था उसको श्री टी० टी० कृष्णमाचारी जो काट रहे हैं और उनका काटा हुआ कौन खाएगा, यह आने वाला कल बतलाएगा।

गत वर्ष आवश्यकता से अधिक टैक्स लगाए गए थे उसके कारण जनता में पेशेवारी बढ़ी और शासन को अलोकप्रियता में बढ़ि हुई और आज वित्त मंत्री जी को इन टैक्सों से पर्याप्त होने वाली आमदनी के आधार पर आगे बढ़ना सरल हो गया। जब एक्सपेंडीचर टैक्स लगाया गया था तब मैंने उसका समर्थन किया था और वह भी इस आधार पर हम अपने देश में किसी व्यक्ति को अनाप शनाप खर्च करने की छूट नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई अगर अनाप शनाप खर्च करेगा तो बचत का वातावरण बिगड़ेगा और देश में सादगी तथा सरल जीवन बिताने की जो आवश्यकत है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दिखाई देता है कि एक्सपेंडीचर टैक्स से जो आमदनी होने वाली थी वह नगण्य थी और शायद उतना रुपया उस टैक्स को बमूल करने में ही खर्च हो गया और इस कारण इस कर को समाप्त कर दिया गया। आज वही कर फिर लगाया जा रहा है। महोदया, आज स्थिति यह है कि अगर कोई रुपया कमाये तो उसे इनकम टैक्स देना होता है, अगर रुपया जोड़े तो उसे वैल्यू टैक्स देना होता है, अगर रुपया खर्च करे तो उसे एक्सपेंडीचर टैक्स देना होता है, अगर रुपया दान करे तो उसे गिफ्ट टैक्स देना होता है, अगर बिना दान किए ही मर जाए तो इस्टेट ड्यूटी टैक्स देना होता है। हमारे सदन में एक सदस्य है जिनका नाम है श्री करमरकर। मुझे उनका नाम बहुत पसन्द है। अगर वह गलत न समझे तो मैं उनके नाम की इस तरह से व्याख्या करके बताऊँ कि सरकार कर लगाती है और आप मर जाइये फिर भी वह कर लगाती है। यह "करमरकर" में "कर" तो समझ में आता है, मगर "मर" समझ में नहीं आता है। मैं उन लोगों पर टैक्स लगाने के खिलाफ नहीं हूँ जो टैक्स देने की स्थिति में हैं उन पर टैक्स लगाना चाहिये, लेकिन यह सरकार इस संबंध में अपना दिमाग बिलकुल साफ कर ले कि क्या विका सकी गति को बढ़ाना और भुवनेश्वर

[श्री ए० वी० वाजपेयी]

के प्रस्ताव के अनुसार समाजवाद को लाना ये कहीं परस्पर विरोधी काम तो नहीं है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री की कठिनाइयाँ इसलिए बढ़ जाती हैं कि वे इन दोनों चीजों को मिलाना चाहते हैं। विकास की गति अगर बढ़ानी है तो हमें ज्यादा रुपया इनवेस्ट करना होगा और अगर ज्यादा रुपया इनवेस्ट करना हो तो ज्यादा रुपया सेव करना होगा, बचत करनी होगी, लेकिन अगर सरकार टैक्सों में या एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि करके सारी बचत खुद ही इकट्ठा कर लेगी तो फिर आर्थिक विकास की गति कैसे बढ़ाई जा सकती है।

महोदया, वित्त मंत्री के बजट में एक बड़ी गम्भीर बात है और वह यह है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। पात वर्ष भी मैंने बजट पर भाषण करते हुए कहा था कि कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है। संविधान ने केन्द्र सरकार को इस बात का अधिकार दिया है कि उन राज्यों में फाइनेंशियल इमर्जेंसी की घोषणा करके और वहाँ की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार प्रयत्न करे। किन्तु शायद इसलिये कि सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें काम कर रही हैं, केन्द्र ने राज्यों को सीधी राह पर लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। परिणाम यह हो रहा है कि राज्यों पर केन्द्र का कर्जा बढ़ता जा रहा है। अभी तक कुल मिला कर राज्यों पर ३६ सौ करोड़ रुपया कर्ज की रकम है। इस रकम को वापस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि रकम वापस करने की मांग की जाती है तो राज्य सरकारें रकम को वापस करने के लिये नया कर्ज मांगती हैं। वे कर्जा लेकर कर्जा पाटना चाहती हैं और केन्द्र की कर्जा देने की क्षमता अमर्यादित नहीं है। हम कब तक राज्यों को कर्जा देते रहेंगे और कब तक उस कर्ज को पूरा करने के लिये विदेशों से कर्जा लेते रहेंगे। हम विदेशों से

कर्जा लेते हैं और राज्य सरकारें हम से कर्जा लेती हैं। “ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्”, यह पुरानी कहावत है कि कर्जा लेकर धी पिओ। मगर यहाँ धी पीने की तो कोई संभावना नहीं है। कर्जा लेकर घाटा करो, कर्जा लेकर टैक्स बढ़ाओ, अपव्यय करो, यह स्थिति हमें दिखाई देती है। केन्द्र सरकार को राज्यों की इस आर्थिक स्थिति की ओर गम्भीरता से देखना चाहिये। अगर कोई राज्य सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है और कर्ज को घटाने के लिये तैयार नहीं है और जंग नियोजन के लिये दिया जाता है उसे ऐसे कामों पर खर्च करती है जिसका नियोजन से दूर का भी संबंध नहीं है, तो ऐसे राज्य को ऋण देना बन्द करना चाहिए और जो ऋण दिया गया है उसकी कठोरता से वसूली करनी चाहिये। आवश्यक हो तो संविधान का सहारा ले करके ऐसे राज्य में फाइनेंशियल इमर्जेंसी घोषित करनी चाहिये। आज राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। इसलिए अगर केन्द्र हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जब भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें होंगी तब भी केन्द्र के लिये हस्तक्षेप करना संभव नहीं होगा। इसलिये हस्तक्षेप की परम्परा आज से ही डालनी चाहिये और भुके विश्वास है कि वित्त मंत्री राज्यों को बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के संबंध में जरूर कोई कठोर कदम उठावेंगे।

मैं वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हूँ कि जो सरकारी कलकारखाने चल रहे हैं, उनमें मुनाफा होना चाहिये, लेकिन सरकारी कलकारखाने मुनाफा दे नहीं रहे हैं। जिस अनुपात में पूँजी लगी है उस अनुपात में मुनाफा नहीं हो रहा है। सन् १९६२-६३ में, १.३ करोड़ मुनाफा हुआ था। सन्, १९६३-६४ में २.३२ करोड़ मुनाफा हुआ। इनवेस्टमेंट है हमारा ८०६.४७ करोड़ रुपया शेयर कैपिटल में और उस पर जो रिटर्न हुआ है वह ०.२५ पर सेंट है। जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरैंडम दिया गया है

उससे पता लगता है कि सरकार कलकार-
खाने, जिनको पब्लिक प्रोजेक्ट्स कहा जाता
है, अभी सफलता के साथ नहीं चल रहे
हैं। लेकिन मुनाफा होना चाहिये, यह कहने
के बाद हम इन कलकारखानों में बनने वाले
माल के मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार न
करें कि जिसका बोझ आम आदमी पर ज्यादा
पड़े। सरकारी कलकारखानों में जो माल
बनता है उसकी कीमतें निर्धारित करने के
पीछे सिद्धांत क्या है, उपभोक्ता को वह
माल किस दर पर मिलना चाहिये, सरकारी
कलकारखानों में कितना मुनाफा होना चाहिये,
किस दर पर होना चाहिये, यह अभी तक स्पष्ट
नहीं किया गया है। मैंने स्टेट ट्रेडिंग
कारपोरेशन का हवाला दिया। वह ४००
क्रीसदी तक मुनाफा कमा रहा है। यदि इन
कलकारखानों के माल की कीमत निर्धारित
करते समय एलिमेंट आफ टैक्सेशन, कर के
तत्व, आयेंगे तो वह मुनाफा वास्तविक मुनाफा
नहीं होगा। मुनाफा होना चाहिये इन
कलकारखानों को अच्छी तरह से चलाने में।
लेकिन कलकारखाने अच्छी तरह से नहीं चल
रहे हैं, इस सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो
सकती। ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट की आलो-
चना, जो जापान के विशेषज्ञ आये थे
उन्होंने भी की है। उनका आरोप है कि
आयर्न और का हमारा व्यापार कम हो
गया है क्योंकि हिन्दुस्तान में नौकरशाही के
तरीके से प्रबन्ध होता है, संचालन होता
है। अभी नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन
के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट
रखी है वह बड़ी गंभीर है। उस में
बताया गया है कि किस प्रकार दो साल में
१.६० करोड़ रुपया भरम्मत में और प्लांट
I.P.M. को चलाने में खर्च किया गया। पब्लिक
एकाउंट्स कमेटी ने अपनी १६वीं
रिपोर्ट में टी-बोर्ड की एक इमारत के सम्बन्ध में
लिखा है। टी-बोर्ड ने ३६.३६ लाख रुपया
खर्च करके एक इमारत बनाई, पब्लिक एका-
उंट्स कमेटी का कहना है कि इमारत बनाने
पर इतना रुपया खर्च नहीं होना चाहिये

था, टी-बोर्ड के लिये इतनी बड़ी इमारत की
आवश्यकता नहीं है, किन्तु फिर भी इमारत
बनाई गई। रुरवेला स्टील प्लांट की
कहानी हम सभी जानते हैं, जहां तालाबंदी
के कारण सरकार को—दूसरे शब्दों में
कहना चाहिये कि जनता को—७६ लाख
रुपये का घाटा हुआ था क्योंकि संचालक
विशेष काम करने वाले मजदूरों को
अधिक भत्ता देने के लिये तैयार नहीं थे। मैसूर
की एक साइकिल फैक्ट्री का भी उदाहरण
दिया जाता है जिस के बारे में कहा जाता है
कि ढाई साल में केवल १८ साइकिलें बनीं।
यह फैक्ट्री एक सरकारी फैक्ट्री है और
हर एक साइकिल का मूल्य १६ हजार
रुपये आया।

श्री बैरागी द्विवेदी (उड़ीसा) : एक
साइकिल का ?

श्री ए० बी० बाजपेयी : क्योंकि ढाई
साल में केवल १८ साइकिलें बनीं। कारखाने
को चलाने पर, वेतन पर, भत्ते पर ...

श्री बैरागी द्विवेदी : उसे खरीदता कौन
है ?

श्री ए० बी० बाजपेयी : वे प्रदर्शनी में
रखने के काम आती हैं।

मेरा निवेदन है कि जो भी कल-कारखाने
सरकार चला रही है उनको वह अच्छी तरह
से चला कर दिखाये। पब्लिक प्रोजेक्ट्स,
पब्लिक सेक्टर का बिस्तार होने के बजाय
दृढ़ीकरण होना चाहिये। जो राष्ट्रीयकरण
की मांग करते हैं उनसे मैं निवेदन करना
चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकरण और
समाजवाद पर्यायवाची शब्द हैं। कल वित्त
मंत्री ने कहा कि विरोधी दल का कोई
सदस्य भुवनेश्वर के प्रस्ताव की चर्चा न
करे और वित्त मंत्री ने कांभिस के सदस्यों
से भी कहा कि बजट के खिलाफ अगर

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

बोलना है तो पार्टी भीटिंग में बोलें, सदन में मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि वह सदन के सदस्यों से इस प्रकार कह सकते हैं—लेकिन इस पर आपत्ति करना कांग्रेस वालों का काम है मेरा नहीं, यद्यपि सदन के एक सदस्य के नाते मैं इस प्रकार के किसी भी बंधन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूँ।

श्री सी० डी० पांडे : कोई बन्धन नहीं है।

श्री ए० बी० वाजपेयी : कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी वाणी से भी जन-भावना का प्रकटीकरण होना चाहिये, वह पार्टी में जो कह सकते हैं कहें लेकिन अगर पार्टी सदन का स्थान लेने वाली है तो फिर लोकतंत्र का भविष्य अन्धकारमय है। वित्त मंत्री का यह कहना भी ठीक नहीं है कि वह विरोधी-दलों की श्रौषधि को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि विरोधी-दल तो उनको खत्म करना चाहते हैं—हम किसी को खत्म करना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें सुधारना चाहते हैं, हम उन्हें बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर सत्ताहृद्-दल के बीच में और विरोधी-दलों के बीच में कोई सामान्य आधार नहीं है तो फिर राष्ट्र के निर्माण में सबका सहयोग लेने की बात कोई अर्थ नहीं रखती है।

महोदया, भुवनेश्वर के प्रस्ताव की कसौटी पर मैं बजट को कसना नहीं चाहता क्योंकि भुवनेश्वर का प्रस्ताव राजनीतिक कारणों से पारित किया गया है और वित्त मंत्री को यथार्थता की भूमि पर पैर रख कर चलना होगा। समाजवाद मेरे लिये जीवन का पूर्ण दर्शन नहीं है क्योंकि मैं मनुष्य को अर्थ का दास नहीं मानता, मैं मनुष्य को काम का कीड़ा भी नहीं मानता, मनुष्य की भौतिक आवश्यकतायें पूर्ण होनी

चाहियें किन्तु कुछ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी हैं जिनकी रक्षा आवश्यक है और समाजवाद उन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विचार करके नहीं चलता है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आपके समाजवाद के पीछे कौनसा जीवन-दर्शन है? अगर कम्युनिस्ट समाजवाद की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक मार्क्सिस्ट फिलासफी है, उसके पीछे जीवन का एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है लेकिन अगर हम भौतिकवाद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं तो हमारे समाजवाद के पीछे कौनसा-जीवन-दर्शन है? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पब्लिक सेक्टर को बढ़ाते जाना, अधिक से अधिक वस्तुओं का सरकार के नियंत्रण में लाना—यही समाजवाद है? क्या कुछ कार्यक्रमों का इकट्ठा स्वरूप समाजवाद है? इसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। आवश्यकता होने पर कोई काम सरकार हाथ में ले सकती है, आवश्यकता नहीं हो तो उसे नहीं लेना चाहिये। लेकिन कुछ कार्यक्रमों का इकट्ठा रूप समाजवाद नहीं हो सकता। उसके पीछे एक जीवन-दर्शन खड़ा करना होगा—सरकार यह नहीं कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी यह नहीं कर सकती है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि वित्त मंत्री का काम कठिन है—वह विकास की गति भी बढ़ाना चाहते हैं और विषमता भी कम करना चाहते हैं, वह मानोपलीज की जांच के लिये कमिशन भी बनाना चाहते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि जिस परिस्थिति में हम आज हैं उसमें यदि विकास की गति बढ़ाना है तो कुछ न कुछ मानोपलीज होंगी, फिर वह यह भी कहते हैं कि मानोपलीज का स्वरूप बदल रहा है, कंट्रोल अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और गेयरहोल्डर्स बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे वित्त मंत्री टाइट-रोप-डान्सिंग कर रहे हैं और इसीलिये बजट ऐसा बना कि जो सबको संतुष्ट नहीं कर सका या मैं

कहूँ कि किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सके—पूँजीपति इसलिये असंतुष्ट हैं कि उनसे ११ करोड़ रुपये अधिक वसूल किया जायगा जबकि शिकायत की जा रही है कि पूँजीपतियों को सुविधायें दी गई हैं। आम आदमी इसलिये असंतुष्ट है कि उसे कोई राहत नहीं मिली जब कि यह भी सच है कि उस पर कोई अधिक कर नहीं लगाया गया है। तो मेरा निवेदन है कि यदि शासन अपने विचारों में स्पष्टता लाये और बिना राजनैतिक तथा आर्थिक दबाव के वास्तविकता के आधार पर अपनी नीतियाँ निर्धारित करे तो देश की आर्थिक समस्याएँ हल की जा सकती हैं।

बजट में सरकारी खर्चों में कमी करने के कोई ठोस उपाय नहीं सुझाये गये। एस्टीमेट्स कमिटी, पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं जिनमें कहा गया है कि यदि दृढ़ता से प्रयत्न किया जाय तो सरकारी खर्चों में १०० करोड़ रुपये की बचत हो सकती है लेकिन इन कमिटीज की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया गया और जो सुझाव दिये गये थे उनको क्रियान्वित नहीं किया गया। सिविल एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है, टैक्स लगाया जाता है योजना के नाम पर किन्तु क्या उन टैक्सों से होने वाली आमदनी योजना के कामों पर खर्च की जाती है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: How much more time would you take? You have taken one hour.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Five minutes more, Madam. Have I completed one hour?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you can take five minutes more.

श्री ए० बी० वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि सरकारी खर्चों में कमी करने की काफी गुंजाइश है, लेकिन इस सम्बन्ध में शासन कोई कदम नहीं उठा सका है।

अन्त में मैं एक विषय की चर्चा करना चाहता हूँ और वह है भ्रष्टाचार। हम अगर देश में राजनैतिक और सामाजिक अनुशासन पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिये भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन्होंने यह आशंका पैदा की है कि क्या सचमुच में सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। मंत्रियों का, पूँजीपतियों का गठबंधन यह बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुँच रहा है। जो तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि सिराजुद्दीन कांड की अदालती जांच के लिए अभी तक कमिशन क्यों नहीं कायम किया गया है ? उन्होंने किसी मंत्री को कितना रुपया दिया इसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा लगता है कि सिराजुद्दीन का जाल काफी फैला हुआ है जिसमें केन्द्र के ही नहीं राज्य के उंचे पदों पर बैठे हुए लोग शामिल हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक कमिशन नियुक्त किया जाय जो सारे मामले की जांच करे, जिससे जनता का संदेह दूर हो। यहीं दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे जो गुड़ का घोटाला हुआ है उसका अभी तक बुरा स्वाद हम लोगों के मुँह में बाकी है। दिल्ली की पुलिस, जो उस कोआपरेटिव के संचालक हैं, संसद के सदस्य हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है मगर ला मिनिस्टरी ने, विधि मंत्रालय ने, उसमें कुछ रोड़े अटकाये हैं। मैं नहीं जानता विधि मंत्रालय कहाँ तसवीर में आता है ? कोई इससे इंकार नहीं कर सकता है कि गुड़ का घोटाला हुआ है और गृह मंत्री सदन में घोषणा करते हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी लेकिन जब कार्यवाही करने का मौका आया तो केन्द्रीय सरकार झिझक रही है, संकोच कर रही है—यह तरीका नहीं है भ्रष्टाचार को मिटाने का, यह तरीका नहीं है जनता में इस बात का विश्वास पैदा करने

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

का कि शासन सचमुच में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है। विरोधी दल भ्रष्टाचार का निराकरण करने में अपना सहयोग देने के लिये तैयार है। लेकिन पहले सरकार को यह साबित करना होगा कि वह राजनैतिक कारणों से किसी भी भ्रष्टाचार पर, किसी भी भ्रष्टाचारी पर पर्दा नहीं डालेगी। पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, दिल्ली में चौधरी ब्रह्मप्रकाश के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, सिराजुद्दीन कांड में अदालती जांच कायम नहीं हुई। ये ऐसी घटनाएं हैं जो यह नहीं बताती कि सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये, राजनैतिक कारणों से भी ऊपर उठने के लिये तैयार है।

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय अपने कर प्रस्तावों में जनता की भावनाओं के अनुरूप संशोधन करेंगे और आम आदमी को कुछ ठोस सुविधा या रियायत देने का प्रबंध करेंगे। धन्यवाद।

SHRI S. C. KARAYALAR (Madras): Madam Deputy Chairman, I rise to give my general support to the Budget proposals. The higher rates It is a vicious circle of charging more and Budget proposals have been formulated with more on less and less. The prime requirement is to certain broad objectives in mind. They are break that vicious circle. The adoption of a intended to infuse confidence in the capital comprehensive taxation would impose fewer strains market, to afford incentives for the on the social fabric and on the administration of the development of certain basic industries, to tax system if it were introduced with a moderate promote savings and also to give incentives schedule." for foreign investments. These are the general broad objectives. The socialist pattern of society, which is our aim, is also kept in mind in framing these proposals.

Before I proceed to examine the Budget proposals, I wish to make certain observations on the basis of what Prof. Kaldor has said in his report on

tax reform in India. He presented a report which contains an integrated scheme. Broadly speaking, he recommended that the tax basis should be widened so that other forms of taxes such as Expenditure-tax, Gift-tax, Wealth-tax and all that should also be included in the scheme of personal direct taxation besides the income-tax scheme which was in force prior to this report. One of the main proposals in his scheme was that the taxation structure, as it was in force, was productive of a large scale of evasion of tax, and in order to eliminate that process he produced an integrated scheme for the purpose of taxing all sources of income besides the ordinary income from business and profits. And as a part of the integrated scheme he proposed that the marginal rate of tax should be reduced from 70-75 percent, to 40-45 per cent. That is one of the cardinal features of the scheme. But somehow the structure of taxation which has been adopted since then has failed to take note of this cardinal fact and its theory, with the result that we are following the old traditional system of taxation of income with high rates of taxation and all that. This is what Prof. Kaldor had to say on this question of evasion:

"From every point of view it is far better to have a foolproof system of taxation with a moderate rate schedule than a system which has the appearance of high pro-gressivity but which cannot be effectively administered.

India has been in the grip of a vicious circle so far as progressive taxation is concerned which has led to higher and higher nominal rates of

taxation, and this in turn to further evasion and still higher rates. It is a vicious circle of charging more and more on less and less. The prime requirement is to break that vicious circle. The adoption of a comprehensive taxation would impose fewer strains on the social fabric and on the administration of the tax system if it were introduced with a moderate rate schedule."

This is what he has got to say. The main point which he had emphasised is that the high marginal rate of taxation ought to go and it should be brought down to about 45 per cent. If that had been accepted along with the structure of taxation which he recommended, there would have been no case for evasion. That is what he has emphasised. Somehow or other the other features of the scheme which he proposed have been adopted without this particular feature and there is no justification for splitting up the integrated system into parts and only taking whatever suited the purpose of the Government.

Now, having said that, Madam, I wish to examine some of the Budget proposals in detail. The cumulative effect of all the Budget proposals is that the corporate sector is getting some relief. But at the same time the private individual taxation has been stepped up. One of the main features of these Budget proposals is the introduction of what is called, the Annuity Scheme. I am rather intrigued by the features of this 'Annuity Deposit Scheme. I cannot possibly understand whether the annuity deposits, are really taxes levied or they are capital advanced to the Government. In one sense it is treated as capital because it is refundable later from the next year. In another sense it is treated as a tax. I cannot really understand the nature of this Annuity Scheme. I would like to have a clarification from the Ministry regarding the nature of this.

Then another difficulty which arises with regard to the annuity deposit scheme is this. When annuity deposits are paid by the assessee, the Government has got to keep accounts in the case of all these assessee, not for one year but for ten years, and more indefinitely because every year the assessee has to make a deposit and this deposit will be carried over from year to year for 10 years before it is completely eliminated. That means the Government will have to keep accounts for all the assessee, getting an income

of over Rs. 15,000. This is administrative difficult, if not impossible. This aspect has to be seriously considered, lest it should lead to all kinds of difficulties in the case of these people who have to keep the accounts. Correspondingly the assessee also will have to keep accounts and keep track of what is being paid and what deductions have been made, etc.

Next, I come to the capital gains-tax. There is provision made in the Finance Bill for the levy of different rates of capital gains-tax. In the case of lands and buildings it is 7b per cent, of the average rate and in the case of other capital gain, it is 50 per cent. I cannot understand why there should be 'some kind of discrimination between the capital gains of one nature and capital gains of another nature

Another point is with regard to the capital gains-tax in the case of bonus shares. According to the new scheme, bonus shares, when they are issued, are immediately treated as capital accretion in the hands of the assessee. I cannot understand how and by what process it becomes a capital accretion immediately it is issued by the company concerned. As a matter of fact, in some cases, it may result in a loss because when you take into account the total gain of the equity shares held, and the bonus shares it may probably be less than the capital invested. So it is very unfair to treat the bonus shares as Capital gains immediately they are issued to an assessee.

Then the expenditure-tax is proposed to be reintroduced. The Expenditure-tax was abolished last year or the year before last because of various reasons. In the first place it did not serve the purpose it was intended to serve, namely, to impose a restraint on consumption but it was found later on by investigation that it did not act as a restraint on consumption and then the proceeds of the tax were very poor and were not adequate or

[Shri S. C. Karayalar.] commensurate with that trouble taken to collect. Therefore it was abolished. Now there is not sufficient or valid argument advanced this time for the reintroduction of the tax.

With regard to the Estate-duty, there has been a steep increase in the rate of duty. The repercussions of the steep increase have not been properly assessed. The high rate of duty running up to 85 per cent, is really not a tax but it is more in the nature of confiscation. Nobody can say that levy of 85 per cent, of the wealth of a certain person will amount to a tax. A tax can only be a small percentage of wealth or income but when it is stepped up to 85 per cent., it smacks of being confiscatory. Then the repercussions of such a high rate of Estate-duty will be that capital formation will be affected. People will not have a tendency to save and the savings will be affected. These long-term effects have to be assessed properly in the proper perspective before the rates are finalised.

Now, I want to refer to the provision in the new Finance Bill regarding the concealment of income. It says:

"It is proposed to provide that where the income declared by an assessee in the return furnished by him is less than 90 per cent, of the assessed income, the assessee shall be deemed to have concealed his income or furnished inaccurate particulars thereof and be liable to penalty according unless he produces proof to establish his bona fides in the matter."

This is a very dangerous provision which will lead to public relations being completely injured apart from all other aspects of the matter. Take the case of an assessee who makes a return and he claims certain items of expenditure as incurred solely for the purpose of running his business and the assessing officer or the income-tax authority comes to a different judgment. It is a case of substituting

one judgment for another, one individual judgment for the judgment of another person. This difference in judgment alone may account for a difference of over 10 per cent. Then it is possible that in the case of certain businesses the Income-tax Officer may consider a certain item of expenditure as capital expenditure and the assessee or the company concerned might treat it as a revenue expenditure. So in marginal cases it will not be possible to exactly say whether a certain item of expenditure is capital or revenue expenditure. Such difference of opinion between the Income-tax Officer and the assessee concerned is likely to be reflected in a percentage exceeding 10 per cent. in the return. Such difference in judgment alone cannot be made the basis for any kind of penalty being imposed. This is a very serious matter which should receive the consideration of the Government.

Shri K. Santhanam referred to the formulation of a comprehensive social security scheme for all sections of the people. I would point out that the standard of living in the case of certain sections of the people is so low that they require a social security scheme. The average per capita income of a factory worker is about Rs. 1,400. The average per capita income of other non-factory worker is deplorably low, although we have no statistics to establish that but we can visualise what the average per capita income of these non-factory workers will be. They, I believe, are the weakest section of the community and they require a scheme of social security much more. So the weakest section of the community must be provided for.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you take long?

SHRI S. C. KARAYALAR: No, I have finished, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is 1-30. The House stands adjourned till 2-30.

The House then adjourned! for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the Vice-Chairman (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 2 BILL, 1964

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1964, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th March, 1964.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE BUDGET (GENERAL), 1964-65 — *continued.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Shri G. Murahari.

श्री गोडे मुराहरी (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष जी, जब हम इस साल के बजट को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यह बजट एक बेसवाद सा बजट है, इनसिपिड बजट जिसको कहते हैं। पहले जो करों का एक ढांचा हमारे देश में खड़ा किया गया है, पिछले बजटों में जो ढांचा कायम किया गया है उसी की पूर्ति करना हमारे वित्त मंत्री का उद्देश्य है।

है। लेकिन बजट का जब हम प्रतिपादन करते हैं तो जिस दृष्टिकोण को आगे रख कर हम उसका प्रतिपादन करते हैं वह असलियत हमारे सामने लाता है। मेरा यह कहना है कि जो भी बजट हमारे सामने आये हैं सब में एक ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने रखा है। हिन्दुस्तान की जो वर्तमान परिस्थिति है, पूंजी की और अर्थ व्यवस्था की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको कायम रखना, इसी दृष्टिकोण से आज तक सभी बजट इस देश में बनाये गये हैं। इसलिये जब इस बजट के बारे में हम सोचते हैं तो सर्व-प्रथम यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि इस बजट का उद्देश्य क्या है। इस बजट का उद्देश्य तो ऐसा दिखाई देता है कि हमारी जनता जो अधिकांश हमारे देश में बसती है, जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनको नज़र में रखे बिना बजट बनाया जाता है। बजट का सारा उद्देश्य यह लगता है कि कैपिटल फार्मेशन कैसे हो, पूंजी कैसे बढ़े, पूंजी को कैसे प्रोत्साहन दिया जाये, लेकिन साथ साथ मनुष्य का भी कुछ मूल्य होता है। मनुष्य के मूल्य को सामने रख करके बजट बनाया जाना चाहिये। लेकिन सारे जितने भी बजट हमारे देश में अभी तक बने हैं, वे पूंजी का मूल्य देख करके बनाये गये हैं, पूंजी को सामने रखकर बनाये गये हैं। तो इस बजट के बारे में ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बजट में वही पुरानी चीजें जो हैं उन्हीं को फिर लागू किया गया है।

वित्त मंत्री साहब को जो टैक्स प्रिय हैं उनको वे फिर वापस लाये हैं। कुछ चीजों को उन्होंने खत्म ज़रूर किया है जैसे कम्पल-सरी डिपॉजिट है। लेकिन उसका भूत अभी तक हमारे ऊपर सवार है और आगे पांच साल तक सवार रहेगा। जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया उसके दूसरे ही दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का विलयरिफिकेशन आया कि इस साल में जो जमा करना है वह जमा होगा।